न्यायालय : मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 239 / 2020

जी0 आर0 संख्या 1915 / 2020

06.02.2021 काराधीन अभियुक्त सन्टू चौधरी की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी को दिया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, जिन्हें इस वाद में झूठा फॅसाया गया है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व एफ0 आई0 आर0 में लगाए गए आर्म्स एक्ट का आरोप का कोई केस आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है तथा न ही अभियुक्त के पास से कोई सामान बरामद हुआ है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 18.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसे फरार होने का कोई गुंजाईश नहीं है । अतः, आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाय।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

जमानत के बिन्दू पर उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, जिसके एवं अन्य के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 25 (1–ए ए), 25 (1–बी) ए, 26 (i) (ii)/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जो अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति की है । रात्रि गश्ती दल में सम्मिलित पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली की आवेदक अभियुक्त रूपेश यादव एवं सन्टू चौधरी दोनों मिलकर तश्करी करता है और हथियार को पीरपहाड़ खंडहर में आस–पास कहीं छिपाकर रखता है और ग्राहक मिलने पर वहीं से निकालकर बेचता है तथा अभी वे दोनों भारी मात्रा में कहीं से खरीदकर हथियार लाए हैं और पीरपहाड़ खंडहर के पास छिपाने गए हैं। अविलंब छापामारी करने पर वे दोनों हथियार के साथ पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए निर्देशानुसार तीन बटिया से पीरपहाड़ के लिए प्रस्थान किए और दिनांक 8.10.2020 को समय करीब चार बजे सुबह पीरपहाड़ के पास पहूँचे तथा उन्होंने बल व पुलिस अधिकारी को विभक्त करके पीरपहाड़ की घेराबंदी किए तथा खंडहर के पास पहूँचते ही दोनों अभियुक्त पुलिस बल को देखकर अपने–अपने हाथ में लिए झोला

के साथ खंडहर में छिपाने का प्रयास करने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से अपने कब्जे में ले लिया गया और अभियुक्त की तलाशी लेने हेतु तलाशी के नियमों का पालन करने आस–पास के उपलब्ध 02 स्वतंत्र गवाहों को खोजा। परंतु, वहाँ पर उपलब्ध व्यक्तियों ने स्वेच्छा से कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। तत्पशत्, सहायक आरक्षी निरीक्षक, संजय पासवान एवं हवलदार महेश प्रसाद को स्वतंत्र साक्षी मानकार विधिवत तलाशी लेना प्रारंभ किया तथा पीरपहाड़ पर स्थित खंडहर से आवेदक अभियुक्त रूपेश यादव जप्ती स्थान पीपहाड़ स्थित खंडहर से रूपेश यादव के दाहिने हाथ में लिए पलास्टिक के झोला से बरामद .315 बोर का तीन जिन्दा कारतुस एवं पॉच देशी पिस्तौल (कट्टा) तथा आवेदक सन्टू चौधरी के हाथ में लिए पलास्टिक के झोला से बरामद .315 बोर का एक जिन्दा कारतुस एवं 03 देशी पिस्तौल (कट्टा) एवं अन्य आर्म्स वगैरह बरामद किया गया। जैसा कि, जप्ती सूची में दर्ज है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं वाद की गंभीरता को देखते हुए मैं आवेदक अभियुक्त का जमानत पर छोड़ा उचित नहीं समझता हूँ। अतः, आवेदक अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर